न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 28/2010

1 गजराज पुत्र टोडाराम।
2 महावीर पुत्र टोडाराम।
3 कौशल्या पुत्री टोडाराम पचेरी खुर्द तहसील खेतड़ी हाल तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
4 मृतक दड़की पत्नी टोडाराम जाति अहिर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू नोट देहान्त हो गया।

अपीलांट

बनाम

1 रोताश दत्तक पुत्र पुसाराम।
2 सोमपाल उर्फ शिवपाल पुत्र गुलाराम।
3 हनुमान पुत्र गुलाराम समस्त जाति अहीर पचेरी खुर्द गत तहसील खेतड़ी हाल तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
4 मृतक नत्थुराम पुत्र पुसाराम खुर्द गत तहसील खेतड़ी हाल तहसील बुहाना जिला झुंझुनू नोट दौराने अपील दिनांक 12.06.2012 को देहान्त हो गया।
4/1 श्रीमती जड़ावली देवी पत्नी नत्थुराम।
4/2 बंशीधर पुत्र नत्थुराम।
4/3 मुरलीधर पुत्र नत्थुराम समस्त जाति अहिर निवासीगण पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
4/4 श्रीमती कौशल्या देवी पुत्री नत्थुराम पत्नी बाबुलाल जाति अहिर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
5 रामनिवास पुत्र श्योकरणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

6 दाताराम दत्तक पुत्र हेमा समस्त जाति अहिर निवासी पचेरी खुर्द गत तहसील खेतड़ी हाल तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7 मृतक जयपाल पुत्र नानग जाति अहिर निवासी पचेरी खुर्द गत तहसील गुढा खेतड़ी हाल तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7/1 जगमाल पुत्र जयदयाल।
7/2 रतिराम पुत्र जयदयाल।
7/3 रामसिंह पुत्र जयदयाल जाति अहिर निवासीगण पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7/4 श्रीमती बिमला पुत्री जयदयाल पत्नी बाबुलाल जाति अहिर निवासी भाखरी तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।
7/5 श्रीमती मणी देवी पुत्री जयदयाल पत्नी विधानन्द जाति अहिर निवासी हाजीपुर तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।
7/6 श्रीमती भरपाई पुत्री जयदयाल पत्नी सुबेसिंह जाति अहिर निवासी हाजीपुर तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।
8 मृतक श्योताज पुत्र नानग जाति अहिर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
8/1 लखीराम पुत्र श्योताज।
8/2 शिवकुमार पुत्र श्योताज।
8/3 शिशपाल उर्फ कैलाश पुत्र श्योताज।
9 भगवाना पुत्र नानग।
10 मृतक रामेश्वर पुत्र तेजा।
10/1 बोदराज पुत्र रामेश्वर।
10/2 नरेश पुत्र रामेश्वर।
11 अमरसिंह पुत्र सुरजा।
12 महेन्द्र पुत्र सुरजा समस्त जाति अहिर निवासीगण पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
13 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

14 सुबेसिंह पुत्र टोडाराम जाति अहिर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी दावा उनवानी गजराज वगैरह बनाम रोताश वगैरह दावा घोषणा व विभाजन दावा संख्या 08/2010

उपस्थिति :

1. श्री जगदीश चन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नफीस अहमद, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2010 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पचेरी खुर्द में जमीन खसरा नम्बर 381,506,504,505,925,1368,110,107,108,109,106,177,178,198, 890,898 यह जमीन पहले तहसील खेतड़ी के तहत की थी व वर्तमान में तहसील बुहाना के तहत की है। इस जमीन के बाबत अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 14 वादीगण ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 12 के खिलाफ दावा घोषणा व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विभाजन का किया । इस दावे को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2010 से खारिज कर दिया। इस कारण निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2010 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 व रेस्पोडेंट नम्बर 5 व 7 व 9 ने दावा में दर्ज तथ्यों को स्वीकार किया है। केवल रेस्पोडेंट नम्बर 5 रामनिवास ने जवाब दावा पेश किया बाकी कोटीनेन्टस ने अपीलांट/वादीगण के दावे का खण्डन न कर वादपत्र को स्वीकार किया। कोटीनेन्टस की स्वीकारोक्ति को क्यों नहीं माना जावे इसका कोई आधार दर्ज नही किया। रेस्पोडेंट नम्बर 5 ने काउन्टर क्लेम भी पेश नही किया। जमीन हाल खसरा नम्बर 381,178,198,177,890, 898 वाके ग्राम पचेरी खुर्द में अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 14 का नाम व इससे पहले अपीलांट नम्बर 1 से 3 व रेस्पोडेंट नम्बर 14 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर कोटीनेन्ट दर्ज होता रहा है। इस कोटीनेन्सी की जमीन को अपीलांट व रेस्पोडेंट 14 की कोटीनेन्सी न मानने का कोई आधार दर्ज नही किया। रेस्पोडेंट नम्बर 5 ने न तो जवाब दावा में यह कथन किया व न ही विवाद बिन्दु कायम हुआ कि अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 14 की कोटीनेन्सी खत्म कैसे हुई। दूसरी जगह आबाद होने मात्र से कोटीनन्सी खत्म नही होती, कोटीनेन्सी खत्म होने के लिये केवल मात्र आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 है। अपीलांट के लिये धारा 63 के प्रावधान लागु नही हुये और न ही ऐसा विवाद बिन्दु है व न ही ऐसा अभिवचन है। कोटीनेन्ट के खिलाफ विपरित कब्जा भी नही माना जाता है और न ही इस प्रकार का कथन जवाब दावे में है। उक्त अनुसार कोटीनेन्टस जवाब दावे में अपीलांट की कोटीनेन्सी स्वीकार करते है व रेस्पोडेंट नम्बर 5 के कथन से यह साबित नही होता कि अपीलांट की कोटीनेन्सी की जमीन नही है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दोलाराम, खिमान्दा, चिमा, आस, सगे भाई थे। जवाब दावे में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

चिमा के लड़के टोडा चन्द्रा न हुये हो इससे इन्कार नही किया गया व टोडा के वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 14 न हो इससे भी इन्कार नही किया गया। गोदके बाबत विवाद बिन्दु संख्या 3 बनायी गयी । लेकिन गोद जाने का न तो निर्णय है और न ही अभिवचन है कि चिमा को कब किसने गोद लिया। इस प्रकार गोद का बिन्दु साबित नही होता तो उस सुरत में उक्त चारो भाईयों का उक्त संयुक्त परिवार स्वीकृत तथ्य हुआ और विवादित जमीन संयुक्त कोटीनेन्सी की हुई। वंशावली भी रेस्पोडेंट नम्बर 5 ने गलत दर्ज की जो राजस्व रिकार्ड से साबित है। राजस्व रिकार्ड में श्योकरण के पिता का नाम चिमा भी दर्ज है व राजस्व रिकार्ड में श्योकरण के पिता का दोला भी दर्ज है व राजस्व रिकार्ड में श्योकरण के पिता का नाम खिमान्दा भी दर्ज है। इससे यह साफ दर्ज है कि राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज अपीलांट के खिलाफ गलत है। रेस्पोडेंट 5 ने यह कोई दस्तावेजी सबुत पेश नही किया कि ग्राम रामबास में या अन्य कही या ग्राम पचेरी खुर्द के अलावा अन्य कही अपीलांट नम्बर 1 से 3 के पिता या दादा की जमीन हों। गोद का बिन्दु तय नहीं किया गया न जवाब दावा में है कि चिमा को तब किसने कैसे गोद लिया न इसका साक्ष्य है। विचारण न्यायालय को निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर 3 तनकीयात कायम की गई। पक्षकारो की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त की गई, तत्पश्चात उभयपक्ष की बहस सुनकर तनकीवार विवेचन करते हुये विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सभी पक्षकारो के जवाब, दस्तावेजी साक्ष्य एवं मोखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन नही किया गया है। अपितु सरसरी तौर पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1,2,4,6,7,9 की और से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। इनका विचारण न्यायालय द्वारा कोई विवेचन नही किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा साक्ष्य अभिलेख नकल जमाबंदी संवत 2056–59 खाता संख्या 210 प्रदर्श 1, संवत 2056–59 खाता संख्या 64,151 प्रदार्श 2, सवंत 2056–59 खाता संख्या 53,166 प्रदर्श 3, संवत 2056–59 खाता संख्या 128 प्रदर्श 4, जमाबंदी संवत 2014–17 खाता संख्या 48,62 प्रदर्श 6, संवत 2014–17 खाता संख्या 62 प्रदर्श 7, संवत 2014–17 खाता संख्या 94 प्रदर्श 8, संवत 2014–17 खाता संख्या 82 प्रदर्श 9, मिसल हैकियत संवत 1999 प्रदर्श 10 व 11, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 पेश किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजात का भी तनकीवार विस्तृत विवेचन नही किया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रस्तुत जवाब दावे, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर